फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत –जिला कलक्टर,–मुकाम – भरतपुर

पप्पू **बनाम** सरकार

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी नम्बर 14 सन् 2022

(प्रकरण सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र गोवंश अधिनियम)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
12.4.22	प्रार्थी अभिभाषक मंजीतसिंह उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी पप्पू पत्र मानसिंह जाति जाटव निवसी मकान संख्या 1199 नेहरु कॉनी एन0आई0टी0 एस.जी.एम. नगर (संजय गॉधी मैमोरियल नगर) फरीदाबाद (हरियाणा) ने प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बाबत आयशर केन्ट्रा रजिस्ट्रेशन नम्बर एच.आर. 38/वी–7444 इंजन नम्बर ई 413 सी डी एफ एल 057054 चैसिस नम्बर एमसी2बी7ईआरसीओएफएल 328793 रिपोर्ट मुकदमा 467/21 धारा 3, 5/8 आरबी एक्ट थाना नगर को सुपुर्दगी में दिये जाने का पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी पर उभय पक्ष को सुना गया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि प्रार्थी पप्पू पुत्र मानसिंह उक्त वाहन का रजिस्टर्ड मालिक है। प्रार्थी का उक्त वाहन आयशर केन्ट्रा रजिस्ट्रेशन नम्बर एच.आर. 38/वी–7444 दिनांक 13.9.2021 को मस्जिद चौक के सामने खड़ा था दिनांक 14.9.2021 को सुबह जब देखा तो प्रार्थी की उक्त वाहन मौके पर नहीं था। प्रार्थी ने वाहन को अपने तौर तरीको से इधर ऊधर तलास करता रहा लेकिन गाड़ी नहीं मिलने पर प्रार्थी ने एफ.आई.आर. संख्या 319 दिनांक 17–9–21 अन्तर्गत धारा 379 ता. हि के तहत थाना एस.जी.एम. नगर फरीदाबाद (हरियाणा) पर दर्ज कराई है। पुलिस थाना नगर जिला भरतपुर राजस्थान के पुलिस कर्मियों द्वारा उक्त वाहन के जप्त किये जाने की सूचना प्रार्थी को दी गई, योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने यह बताया कि उक्त वाहन को जिन अज्ञात चोरों द्वारा चोरी किया गया था उसे उक्त चोर गौ तस्करी के रुप में प्रयोग कर रहे थे, पुलिस थाना नगर द्वारा दिनांक 19.9.2021 को मय गौवंश पकड़ लिया गया। जिसकी एफ.आई.आर. संख्या 467/2021 अपराध धारा 3,5/8 राजस्थान गोवंशीय अधिनियम 1995 के तहत उक्त वाहन मय गौवंश के जप्त किया गया है। उनका यह कहना है कि उक्त वाहन का सारे मूल कागजात आर.सी. एवं बीमा वगै. सारे कागजात गाड़ी में रखे हुये थे, वाहन चौरी के समय वे कागजात भी वाहन के साथ चौरी हो गये हैं। वाहन पुलिस थाना एस. जी.एम. नगर फरीदाबाद हरियाणा के अन्तर्गत चोरी हुआ था परन्तु अज्ञात वाहन चोरों द्वारा इसका प्रयोग गौवंश तस्करी के रुप में पुलिस थाना नगर के अन्तर्गत किया जा रहा था तथा पुलिस थाना नगर द्वारा जप्त किया गया है। प्रार्थी के जीवन यापन के लिये उक्त वाहन की अत्यन्त आवश्यकता है, जप्त पुलिस थाना नगर में खुले में खड़ा हुआ है, वाहन के खुले में खड़ा रहने से धूप एवं वर्षात से खराब हो जावेगा। जप्त वाहन को प्रार्थी को सुपुर्दगी में दिया जावे। न्यायालय श्रीमान जो आदेश शर्त देगी वह प्रार्थी मानने को तैयार है।	

हमने योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर गौर किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। थाना नगर द्वारा गोंवश तस्करी में जप्त वाहन आयशर केन्ट्रा रजिस्ट्रेशन नम्बर एच.आर. 38/वी–7444 जप्त किया गया है। जो दिनांक 13.9.2021 को मस्जिद चौक के सामने फरीदाबाद से चौरी हुआ था प्रार्थी ने वाहन चौरी की रिपोट एफ.आई. आर. संख्या 319 दिनांक 17–9–21 अन्तर्गत धारा 319 ता.हि के तहत थाना एस.जी.एम. नगर फरीदाबाद (हरियाणा) दर्ज कराई गई है। जप्त वाहन को गोवंश की तस्करी में पुलिस थाना नगर राजस्थान ने जप्त किया है। वर्तमान में प्रार्थी का जप्त वाहन पुलिस थाना नगर में खुले में खडे रहने से धूप वर्षात में खराब होने से इन्कार नही किया जा सकता है। जप्त वाहन के कृत्य को लेकर पुलिस थाना में एफआई आर दर्ज है। जिन के निर्णय में समय लगने की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है, कि यदि प्रार्थी सुपुर्दगार 5 लाख रुपये की सुपुर्दनामा 5 लाख का जमानतनामा इस आश्य का पेश करे कि वह वाहन को दौराने मुकदमा दीगर जगह रहन वय मुन्तकिल नहीं करेगा, न्यायालय द्वारा चाहे जाने पर स्वयं के खर्चे पर वाहन पेश करेगा, वाहन का रंग वगे. नहीं बदलेगा, पेश करें तो मुकदमा 467/21 धारा 3, 5/8 आरवी एक्ट मे जप्त वाहन आयशर केन्ट्रा रजिस्ट्रेशन नम्बर एच.आर. 38/वी–7444 इंजन नम्बर ई 413 सी डी एफ एल 057054 चैसिस नम्बर एमसी2बी7ईआरसीओएफएल 328793 को प्रार्थी सुपुर्दगार पप्पू पुत्र मानसिंह जाति जाटव निवासी मकान संख्या 1190 नेहरु कॉलोनी एन.आई.टी. एस.जी.एम. नगर(संजय गाँधी मैमोरियन नगर) फरीदाबाद (हरियाणा) की सुपुर्दगी में दिया जावे। प्रार्थना पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)